न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, किशनगढ

पीठासीन अधिकारी श्रीमान रजत यादव (आई.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र क्रमांक 268/2024

सुगनी पत्नी हरलाल जाति जाट निवासी ग्राम बासड़ा मेहरान, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़ जिला अजमेर।
अप्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू. राजस्व अधि. 1956

दिनांक 17/9/25

उपस्थितः प्रार्थी दौराने बहस

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया द्वारा पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात ग्राम बासड़ा मेहरान, पटवार हल्का कुचील, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रलावता, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में अवस्थित है जिसका वर्णन वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 (वर्ष 2020 से स्थाई) के अनुसार निम्न प्रकार हैः–खाता संख्या 88 पुराना 91 खसरा संख्या 589/2 रकबा 1.0841 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजीयात अनुसार वर्तमान नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी में किसी प्रकार का कोई गै. मु.चाह मुर्तिब नहीं है किन्तु मौके पर गै. मु. चाह मुर्तिब है जिसे अवलोकन एवं निरीक्षण पश्चात गै.मु.चाह दर्ज किये जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र वास्ते दुरूस्ती इन्द्राज सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजी में चाह मुर्तिब किया गया है जिसमें विद्युत कनेक्शन भी प्रार्थीया के नाम से लगा हुआ है जिसके बिल (के. नंबर 110112035354) की प्रति उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रस्तुत किया जा रहा है। भू–प्रबन्ध संक्रीयाएं राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.13 (5) राज–1/2002 दिनांक 26.5.2008 द्वारा समाप्त की जाकर भू–प्रबन्ध प्रक्रिया के समय अधिकार अभिलेख में हुई त्रुटियों को दुरूस्त किए जाने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय में जरिये धारा 131 एवं 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत निहित हैं। अतः उक्त प्रार्थना पत्र वास्ते प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर की मौका रिपोर्ट तलब की जाकर किस्म दुरूस्ती इन्द्राज (गै.मु.चाह किये जाने) हेतु सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र वास्ते किस्म दुरूस्ती इन्द्राज हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें न्यायालय द्वारा किस्म दुरूस्ती किये जाने का आदेश फरमाने पर राज्य सरकार भूमि धारक होने से प्रार्थीया की आराजीयात की वर्तमान अधिकार अभिलेख वर्तमान चौसाला जमाबन्दी एवं नक्शे में भी गै.मु.चाह दर्ज करेगी अतः राज्य सरकार को मुख्य पक्षकार अप्रार्थी मुर्तिब किया गया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात ग्राम बासड़ा मेहरान, पटवार हल्का कुचील, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में अवस्थित होने से उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय में निहित है, अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमा कर प्रार्थीया की खातेदारी काश्तकारी आराजीयात वर्किंग जमाबन्दी के अनुसार खसरा नम्बर 589/2 रकबा 1.0841 हैक्टर में मुर्तिब प्रार्थीया द्वारा मुर्तिब चाह को नक्शा ट्रेस एवं जमाबन्दी में पृथक से दर्ज कर उसकी किस्म गै.मु.चाह अंकित एवं शेष आराजी की किस्म चाही अव्वल दर्ज किये जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अन्य अनुतोष माननीय न्यायालय उचित समझें वह प्रार्थीया के पक्ष में प्रदान करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 05.12.2024 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी करवाई गई। दिनांक 14.07.2025 को तहसीलदार किशनगढ का जवाब पेश किया गया जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीया के खसरा संख्या 589/2 में राजस्व रिकार्ड मे चाह का अंकन नहीं है किन्तु मौके पर चाह खुदा हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

.09.2025 को प्रार्थीया ने स्वयं उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त त्र को स्वीकार फरमा कर प्रार्थीया की खातेदारी काश्तकारी आराजीयात वर्किंग जमाबन्दी के र खसरा नम्बर 589/2 रकबा 1.0841 हैक्टर में मुर्तिब प्रार्थीया द्वारा मुर्तिब चाह को नक्शा ट्रेस एवं बन्दी में पृथक से दर्ज कर उसकी किस्म गै.मु.चाह अंकित एवं शेष आराजी की किस्म चाही अव्वल दर्ज किये जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अन्य अनुतोष माननीय न्यायालय उचित समझें वह प्रार्थीया के पक्ष में प्रदान करावें।

हमारे द्वारा प्रार्थीया को सुना गया एवं प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा हस्तगत वाद में प्रार्थीया की खातेदारी आराजी में चाह को नक्शा ट्रेस एवं जमाबन्दी में पृथक से दर्ज कर उसकी किस्म गै.मु.चाह अंकित एवं शेष आराजी की किस्म चाही अव्वल दर्ज किये जाने का आदेश करवाने बाबत पेश किया गया है, धारा 131 भू.राज.अधि. के अनुसार "नक्शा ओर क्षेत्र पुस्तक को चालू रखना–सर्वेक्षण और अभिलेख कार्य समाप्त होने के पश्चात् नक्शा और क्षेत्र पुस्तक राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त बनाये गए नियमों के अनुसार भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा चालू रखी जायेगी तथा वह प्रतिवर्ष या ऐसे लंबे अन्तराल पूरे जो राज्य सरकार विहित करे, प्रत्येक गांव या सम्पदा, खेत की सीमाओं में हुए सब परिवर्तन अभिलिखित कराएगा तथा ऐसी किन्हीं गलतियों का सुधार करेगा जो ऐसे नक्शे या पुस्तक में की गई प्रतीत हों।" एवं धारा 136 के अनुसार "धारा 136 भूमि रिकॉर्ड अधिकारी को यह अधिकार देती है कि वह कभी भी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स या किसी भी रजिस्टर में की गई लिपिकीय त्रुटियों या उन त्रुटियों को, जिन्हें संबंधित पक्ष स्वीकार करते हैं, ठीक कर सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि कोई राजस्व अधिकारी निरीक्षण के दौरान किसी रजिस्टर में कोई त्रुटि पाता है, तो वह भी उस त्रुटि को सही करने का अधिकार रखता है। हालाँकि, इसमें एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि यदि कोई राजस्व अधिकारी निरीक्षण के दौरान रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में कोई त्रुटि पाता है, तो वह बिना पूर्व सूचना दिए उस त्रुटि को नहीं सुधार सकता।" अर्थात धारा 131, 136 भू.राज.अधि. केवल राजस्व रिकार्ड में हुई त्रुटियों के संशोधन हेतु है किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं प्रार्थी की बहस के अनुसार वादअधीन भूमि राजस्व रिकार्ड में त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। प्रार्थीया द्वारा वांछित अनुतोष उक्त धारा 131, 136 भू.राजस्व अधिनियम के तहत देय नहीं है। अतः प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को न्यायालय में विचाराधीन रखने का कोई न्यायिक औचित्य नहीं है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राज.अधि. के प्रावधानों के अनुसार पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है।

न्यायहित में तहसीलदार किशनगढ को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीया की भूमि में यदि चाह खुदा हुआ है तो राज. काश्तकारी अधिनियम एवं भू. राज.अधि. एवं राजस्व नियमों के अनुसार मौके पर नापचौक कर कुयें का अंकन करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12/9/25 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner